न्यायालय आर्बीट्रेटर डेडीकेटेड, फ्रेट कॉरीडर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त अजमेर

विक्की गौरा बनाम सक्षम अधि0 उपखण्ड अधिकारी अजमेर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2020/00834 अधि0 परि. :– अजीतसिंह राठौड अधि0 अप्रार्थी : मिलिंद भातोडकर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-11-2020	परिवादी अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी अधिवक्ता को उनके द्वारा दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुति हेतु पत्रावली लौटाये जाने बाबत पर एक तरफा सुना गया। परिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कमोबेश अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1204 ग्राम कल्याणीपुरा अजमेर मे अवस्थित है। इस आराजीयात से 0.1141 हैक्टर भूमि अवाप्त की जा चुकी है एवं उसकी मुआवजा राशि भी प्रदान की जा चुकी है। इस खसरा 1204 पर मुर्तिब आवासीय भूखण्ड जिसका रकबा 0.0390 हैक्टर है, भी आवाप्त की गई है जिसकी मुआवजा राशि प्रदान किया जाना शेष है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 मुख्य परियोजना प्रबंधक डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की जाकर कथन किया गया है कि धारा 20(एच)(2)(3)(4) के अनुसार इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार विद्वान सिविल न्यायालय मे निहित है। अतएव इस कारण से यह अपील स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के कथनानुसार सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति हेतु अपीलान्ट/प्रार्थीया को लौटाई जाना न्यायोचित है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर इस प्रकरण को निस्तारण हेतु सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत प्रस्तुत प्रकरण लौटाने के आदेश प्रदान किया जावें। परिवादी अधिवक्ता की बहस पर गहनता से मनन एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति दिनांकित 03.07.2020 व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं तदुपरान्त दोनो पक्षो की इस आशय की सहमति व स्वीकारोक्ति कि प्रस्तुत प्रकरण मे विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर माननीय सिविल न्यायालय को होने के आधार पर यह परिवाद/अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Veena Pradhan Date: 2021.01.06 11:57:33 IST Reason: SelfAttested संभागीय आयुक्त अजमेर	